

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)मं.मं./2014

जयपुर, दिनांक 15/5/17

आज्ञा

भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 में संशोधन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गोचर भूमि एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित अन्य भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम करने संबंधित योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु निम्नांकित मंत्रिगण की एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन एतद्वारा किया जाता है:-

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1. श्री गुलाब चन्द कटारिया, मंत्री<br>गृह एवं न्याय विभाग             | — | अध्यक्ष |
| 2. श्री अजय सिंह, मंत्री<br>सहकारिता विभाग                            | — | सदस्य   |
| 3. श्री अमरा राम चौधरी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)<br>राजस्व विभाग | — | सदस्य   |

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

(पवन कुमार गोयल)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण/राज्य मंत्री।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

(एन०एल० जेवरिया)  
शासन उप सचिव